भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †41
उत्तर देने की तारीख 20 जुलाई, 2026
29 आषाढ़, 1948 (शक)

पारंपरिक स्वदेशी खेलों को बढ़ावा

†41. श्री अनूप प्रधान वाल्मिकी :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ प्रमुख खेलों को अधिक ध्यान एवं संसाधन प्राप्त होते हैं, जबकि कई गैर-मुख्यधारा तथा पारंपरिक स्वदेशी खेलों में युवाओं की भागीदारी सीमित है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय तथा सामुदायिक स्तर पर अवसंरचना, वित्तीय सहायता एवं प्रतिभा चिह्नित करने के माध्यम से ऐसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजनाएं अथवा प्रोत्साहन आरंभ करने का विचार है;

(घ) ऐसे पारंपरिक खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण, वैज्ञानिक सहायता तथा वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या इन खेलों में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता एवं प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, विद्यालय, महाविद्यालय तथा सामुदायिक स्तर पर अवसंरचना विकास, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा प्रतिभा की पहचान के माध्यम से पारंपरिक और देशज खेलों के संवर्धन सहित खेलों के विकास का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके इन प्रयासों में पूरक की भूमिका निभाती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय पारंपरिक और देशज खेलों सहित

देश में खेलों के संवर्धन हेतु तथा युवाओं की खेलों में अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:

(i) खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
(ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
(iii) अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं तथा उनके कोचों को नकद प्रोत्साहन;
(iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
(v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
(vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
(vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
(viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन; तथा
(ix) राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केन्द्र (एनसीएसएसआर)।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(घ) खेलो इंडिया स्कीम का 'ग्रामीण और देशज/जनजातीय खेलों का संवर्धन' उप-घटक विशेष रूप से देश में ग्रामीण और देशज खेलों के विकास तथा संवर्धन के लिए समर्पित है। विद्यालय, महाविद्यालय तथा सामुदायिक स्तर पर व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता गतिविधियों के आयोजन तथा अन्य प्रचार-प्रसार संबंधी पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) सरकार का दीर्घकालिक दृष्टिकोण खेलो इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता, खेल अवसंरचना के विकास, प्रतिभा की पहचान, वैज्ञानिक प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता एक्सपोजर उपलब्ध कराने के माध्यम से जमीनी स्तर से लेकर उत्कृष्ट स्तर तक खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को व्यापक बनाना, देशज खेलों का संरक्षण करना एवं लोकप्रिय करना, पहचानी गई खेल विधाओं में एथलीटों का विकास करना तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रदर्शन में सुधार करना है।
